अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 20(अ).—भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण, भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के साथ पठित धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भांडागार सलाहकार समिति के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (परक्राम्य भांडागार प्राप्तियां) विनियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** -- ये विनियम केवल ऐसे परक्राम्य भांडागार प्राप्तियों को लागू होंगे जो कागज रूप में जारी किए गए हैं न कि इलैक्ट्रानिक रूप में ।

3. **परिभाषाएं-**

(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से भांडागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन गठित भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

अध्याय 2

परक्राम्य भांडागार रसीदों की प्रणाली

4. **परक्राम्य भांडागार रसीदों का मानकीकरण और जारी किया जाना** — (1) प्राधिकरण परक्राम्य भांडागार रसीद बही का एकमात्र निधान होगा और ऐसे परक्राम्य भांडागार रसीद बही के अभिलेखों को जारी, नियंत्रित और अनुरक्षित करेगा ।

(2) परक्राम्य भांडागार रसीद प्ररूप क में होगा ।

(3) अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत भांडागार द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीद प्राधिकरण द्वारा यथाविहित मानक प्ररूप, आकार और फौंट में होंगी ।

(4) प्राधिकरण प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत भांडागारों को परक्राम्य भांडागार रसीद बही जारी करेगा और सभी रजिस्ट्रीकृत भांडागार प्राधिकरण द्वारा उन्हें जारी परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेगा ।

(5) प्रत्येक परक्राम्य भांडागार रसीद बही और उसमें प्रत्येक परक्राम्य भांडागार रसीद में क्रमसंख्यांक होगा जो प्रत्येक भांडागार द्वारा पृथक रजिस्टर में सम्यक रूप से उल्लिखित किया जाएगा ।

(6) परक्राम्य भांडागार रसीद बही प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट भांडागार के लिए भांडागारपाल या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ही जारी किया जाएगा ।

(7) इस विनियम के अधीन नई परक्राम्य भांडागार रसीद बही प्राधिकरण द्वारा तभी जारी की जाएगी जब भांडागारपाल निम्नलिखित सूचना के साथ नए भांडागार रसीद बही के जारी किए जाने के लिए नया आवेदन करता है,

(क) जारी परक्राम्य भांडागार रसीद बही में शेष किन्हीं अप्रयुक्त परक्राम्य भांडागार रसीदों का क्रमसंख्यांक

(ख) सुसंगत परक्राम्य भांडागार रसीद बही में कोई रद्द परक्राम्य भांडागार रसीद ; और

(ग) इस आवेदन करने की तारीख तक जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों के अधीन आने वाला कुल मूल्य

5. परक्राम्य भांडागार रसीदों पर पृष्ठांकन — प्रत्येक पृष्ठांकन/अंतरण प्रत्येक परक्राम्य भांडागार रसीद के पीछे अभिलिखित किया जाएगा ।

6. अप्रयुक्त परक्राम्य भांडागार रसीद बही का अभ्यर्पण – (1) भांडागारपाल निम्नलिखित दशाओं में तत्काल और पंद्रह दिनों के अपश्चात प्राधिकरण द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीद बही अभ्यर्पित करेगा, —

(i) भांडागार के रजिस्ट्रीकरण की तारीख की समाप्ति से ;

(ii) भांडागार का रजिस्ट्रीकरण निलंबित किए जाने, रद्द किए जाने, प्रतिसंहरित किए जाने या अभ्यर्पित किए जाने की तारीख से ;

(iii) भांडागार के अस्थायी रूप से (नब्बे) दिनों से अधिक अवधि के लिए बंद किए जाने (दैवी प्रकोप से अन्यथा होने पर), या भांडागारपाल द्वारा स्थायी रूप से बंद किए जाने की तारीख से ; या

(iv) प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लिखित रूप में किसी अन्य कारण से ।

(2) भांडागारपाल के रजिस्ट्रीकरण के निलंबन, रद्दकरण या प्रतिसंहरण की तारीख के पश्चात् भांडागारपाल ऐसे भांडागार के लिए कोई परक्राम्य भांडागार रसीद जारी नहीं करेगा ।

(3) यदि भांडागारपाल निलंबन, रद्दकरण या प्रतिसंहरण की तारीख के पश्चात् कोई परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करता है तो वह यथास्थिति अधिनियम के अधीन सिविल और दांडिक शास्तियों का दायी होगा।

7. यदि किसी भांडागारपाल से उपरोक्त परक्राम्य भांडागार रसीद बही अभ्यर्पित करने की अपेक्षा है तो वह निम्नलिखित भी सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :-

(i) सभी अधिशेष अप्रयुक्त परक्राम्य भांडागार रसीद बही प्राधिकरण को वापिस कर दी गई है ;

(ii) कोई रद्द परक्राम्य भांडागार रसीद प्राधिकरण को वापिस कर दी गई है ;

(iii) भांडागारपाल द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीद बही और परक्राम्य भांडागार रसीदें प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गई है, के संबंध में सभी ब्यौरे ;

(iv) किसी परक्राम्य भांडागार रसीद की समाप्ति की तारीख जो अभी विधिमान्य है और प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना लंबित है ; और

(v) समय-समयपर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना, कोई अभिलेख या दस्तावेज प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है ।

8. **परक्राम्य भांडागार रसीद की द्वितीय प्रति का जारी किया जाना** -- (1) जहां किसी भांडागारपाल द्वारा जारी परक्राम्य भांडागार रसीद खो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है या विकृत हो जाती है वहां भांडागारपाल मूल परक्राम्य भांडागार रसीद के बदले में प्ररूप ख में रसीद के निक्षेपकर्ता या धारक द्वारा किए गए आवेदन पर परक्राम्य भांडागार रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

(2) कोई परक्राम्य भांडागार रसीद जो फट गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है, विरुपित हो गई है या विकृत हो गई है, को भांडागारपाल के परक्राम्य भांडागार रसीद की दूसरी प्रति जारी करने पर निक्षेपकर्ता या धारक द्वारा अभ्यर्पित किया जाएगा ।

(3) परक्राम्य भांडागार रसीद की दूसरी प्रति जारी करने के आवेदन के साथ भांडागारपाल के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से एक सौ रुपए की फीस संलग्न होगी ।

9. खो गए, क्षतिग्रस्त या विकृत बही के बदले में नई परक्राम्य भांडागार रसीद बही का जारी किया जाना- (1) भांडागारपाल इस दशा में कि परक्राम्य भांडागार रसीद बही भांडागारपाल के नियंत्रण से परे कारकों के कारण खो गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है या विकृत हो गई है, विहित प्ररूप ग में नई भांडागार रसीद बही के जारी किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण उचित सम्यक सतर्कता और जांच, जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई कपटपूर्ण कार्य नहीं किया जा रहा है, के पश्चात् नई परक्राम्य भांडागार रसीद बही जारी करेगा ।

(3) प्राधिकरण नई परक्राम्य भांडागार रसीद बही जारी करने के पूर्व भांडागारपाल से कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण या सूचना की मांग कर सकेगा ।

(4) नई परक्राम्य भांडागार रसीद बही जारी करने के आवेदन के साथ प्राधिकरण के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के माध्यम से ही चार सौ रुपए प्रति बही की फीस संलग्न होगी ।

(5) यह भी प्राधिकरण परक्राम्य भांडागार रसीद बही के जारी करने के आवेदन को अस्वीकार करता है तो भांडारगारपाल अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अपील कर सकेगा ।

10. परक्राम्य भांडागार रसीद के अभिलेखों का अनुरक्षण-(1) अधिनियम और भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण (अभिलेख और रिपोर्ट) विनियम, 2011 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अभिलेख बनाने और रिपोर्ट करने की अपेक्षाओं के अलावा भांडागारपाल निम्नलिखित के अभिलेख रखेगा :-

(i) जारी परक्राम्य भांडागार रसीद की प्रति ;

(ii) जारी परक्राम्य भांडागार रसीद का कुल मूल्य ;

(iii) जारी परक्राम्य भांडागार रसीद की जारी करने की तारीख ;

(iv) जारी परक्राम्य भांडागार रसीद की समाप्ति की तारीख ;

(v) ऐसी वस्तुएं जिसके लिए परक्राम्य भांडागार रसीद जारी की गई है ;

(vi) परक्राम्य भांडागार रसीद में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं की गुणता और मात्रा ;

(vii) ऐसी कोई परक्राम्य भांडागार रसीद जो किसी निक्षेपकर्ता द्वारा भांडागारपाल को अभ्यर्पित की गई है ;

(viii) ऐसी कोई परक्राम्य भांडागार रसीद जो भांडागारपाल द्वारा रद्द की गई है ;

(ix) ऐसा कोई संव्यवहार जो परक्राम्य भांडागार रसीद पर किया जा रहा है ; और

(x) प्राधिकरण द्वारा विहित या इप्सित कोई अन्य जानकारी ।

(2) भांडारगारपाल प्राधिकरण को मासवार माल के कुल मूल्य के साथ वस्तुवार जारी परक्राम्य भांडागार रसीदों की कुल संख्या का सार प्रस्तुत करेगा ।

(3) भांडारगारपाल प्राधिकरण को तत्काल परक्राम्य भांडागार रसीदों के संबंध में किसी अभिलेख या रिपोर्ट की किसी हानि या नुकसान या नष्ट होने की सूचना देगा ।

प्ररूप क

परक्राम्य भांडागार रसीद

भांडागार (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 की धारा 11 देखिए

(भांडागार का नाम और स्थान)

तारीखः......................

1. रसीद संख्या
2. भांडागार का नाम और पूरा पता..
3. भांडागार की पंजीकरण संख्या..तक मान्य.........................
4. जिससे स्टाक प्राप्त किया (जमाकर्ता का नाम एवं पता)..
5. प्राप्त की गई वस्तुओं का विवरणः

वस्तु	गुणवत्ता एवं ग्रेड इत्यादि सहित वस्तु का विवरण	पैकेजों/बोरों की संख्या	मी0टन/क्विंटल में कुल मात्रा	जमा के समय बाजार दर	कुल बाजार मूल्य	गोदाम/चट्टा संख्या

6. पैकेजों पर जमाकर्ता का निजी चिह्न, यदि कोई हो..
7. भंडारण दर एवं रख-रखाव प्रभार...
8. आग, बाढ़, चोरी, सेंधमारी, हेराफेरी, दंगा-फसाद या आतंकवाद आदि के लिए बीमा :
9.

बीमा पालिसी का नाम	पालिसी संख्या	बीमा धनराशि	मान्य अवधि		बीमा कंपनी का नाम
			से	तक	

10. भंडारण के लिए माल की स्वीकृति..तक.........................

11. यह रसीद तारीख...तक वैध है क्योंकि इसी दिनांक तक घोषित आयु है ।

....

भांडागार/प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

12. पृष्ठांकनः

1) वस्तु की निकासी द्वारा रसीद संख्या...................................तक.. ....या उसके आदेशानुसार

(नाम एवं हस्ताक्षर पूरा पता सहित)

2) वस्तु की निकासी द्वारा रसीद संख्या...................................तक..........................या उसके आदेशानुसार

(नाम एवं हस्ताक्षर पूरा पता सहित)

3) वस्तु की निकासी द्वारा रसीद संख्या...................................तक..........................या उसके आदेशानुसार

(नाम एवं हस्ताक्षर पूरा पता सहित)

13. परक्राम्य भांडागार रसीद गिरवी रखने/ऋण लेने के लिए

बैंक/वित्तीय संस्था का नाम जिसके पास भांडागार रसीद गिरवी रखी गई	लियन/गिरवी रखनें की तारीख	लियन/गिरवी का मूल्य	नोटिंग की तारीख	भांडागार/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	लियन/गिरवी रिलीज की तारीख	भांडागार/प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

14. निम्नलिखित वस्तुएं भांडागार से निकालने के लिए एतद्द्वारा इस रसीद से हटाई जाती हैं । निकाले गए माल पर ली गई वापिस न दी गई अंतिम राशि तथा बकाया शुल्कों को छोड़े गए माल से पूरा किया जा सकेगा ।

क्र.सं.	तारीख	निकाली गई मात्रा		शेष मात्रा	
		बोरे/पैकेज	मी.टन/क्विंटल	बोरे/पैकेज	मी.टन/क्विंटल

भांडागार/प्राधिकृत अधिकारी के नाम एवं हस्ताक्षर

परक्राम्य भांडागार रसीद के निबंधन और शर्तें (एनडब्ल्यूआर)

1. प्राप्त माल का परिदान निक्षेपकर्ता या उसके आदेश पर किया जाएगा ।
2. उचित रूप से चिन्हित और पैककृत सभी माल भांडागार पर दिए जाएंगे । भांडागारपाल पैकेज में ठीक मालों का भंडारण और परिदान करने का जिम्मा लेता है जिसमें वह मूलतः प्राप्त हुए थे जब तक विनिर्दिष्टतः निक्षेपकर्ता द्वारा अन्यथा करने का प्राधिकार न दिया गया हो ।
3. प्रत्येक धारक रसीद को अच्छी दशा में रखेगा जिससे कि भांडागार रसीद में अभिलिखित आंकड़ों को स्पष्ट और पठनीय रीति में रखा जा सके । रसीद और बीमा माल के घोषित भंडारण अवधि की समाप्ति की तारीख तक ही विधिमान्य होगा जिसके लिए जारी किया गया है ।
4. परक्राम्य भांडागार रसीद का पूर्व/नया धारक परक्राम्य भांडागार रसीद के नए धारक की पहचान और पते के बारे में स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए कोई पृष्ठांकन/अंतरण की सूचना तत्काल भांडारगारपाल को देगा ।
5. भांडागारपाल उन्हीं वस्तुओं के लिए ही परक्राम्य भांडागार रसीद जारी करेगा जिसके लिए भांडागार, भांडागार (विकास और विनियम) अधिनियम, 2007 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ।
6. माल के परिदान/अंतरण के अनुदेश हमेशा लिखित रूप में और परक्राम्य भांडागार रसीद के धारक द्वारा हस्ताक्षरित होंगे । माल परक्राम्य भांडागार रसीद के धारक या नामित व्यक्ति के आदेश पर ही परिदत्त किया जाएगा ।
7. परक्राम्य भांडागार रसीद के अधीन न आने वाला माल तब तक परिदत्त नहीं किया जाएगा जब तक उचित रूप से पृष्ठांकित रसीद रद्दकरण के लिए या उसपर भागतः परिदान के लिए पृष्ठांकन परिदान अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता है ।
8. भांडागार रसीद के खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में, इसके अधीन आने वाले माल का परिदान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक माल के कब्जे का विधिसम्मत हकदार व्यक्ति दूसरी रसीद प्राप्त नहीं करता और अभ्यर्पित नहीं करता ।
9. माल की मात्रा, दशा , मूल्य और अंतरवस्तु की घोषणा परक्राम्य भांडागार रसीद में माल के निक्षेप के समय की जाएगी ।
10. भांडागारपाल का दायित्व भांडागार (विकास औरविनियम) अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार होगा ।